सूक्ष्म एवं लघु उद्यम पुनर्वित्त योजना (एमएसईआरएस)

की प्रमुख विशेषताएँ

क्र.सं.	विवरण	विस्तृत ब्यौरे
1	योजना	सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए पुनर्वित्त योजना (एमएसईआरएस)[1]
2	योजना का उद्देश्य	योजना का समग्र उद्देश्य; सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम क्षेत्र को ऋण का प्रवाह सुगम बनाकर सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों को सहायता प्रदान करना।
3	पात्र प्राथमिक ऋणदात्री संस्थाएं (पीएलआई)	❖ अनुसूचित बैंक (सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक, निजी क्षेत्र के बैन बैंक, विदेशी बैंक, लघु वित्त बैंक, शहरी सहकारी बैंक एवं क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शामिल) • *अनुसूचित शहरी सहकारी बैंकों के लिए पात्रता मानदंड **संलग्नक-I** में दिए गए हैं।* • *क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के लिए पात्रता मानदंड **संलग्नक-II** में दिए गए हैं।* ❖ वित्तीय सहायता संबंधित पीएलआई के बोर्ड द्वारा अनुमोदित उधार लेने सीमा/ शक्ति के भीतर होगी।
4	पात्र अंतर्निहित आस्तियाँ / अंतिम उधारकर्ता	❖ दिनांक 26 जून, 2020 के भारत सरकार के राजपत्र में विनिर्दिष्ट अधिसूचना सं. एसओ 2119 (ई) में दी गई परिभाषा के क्रम में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास (एमएसएमईडी) अधिनियम, 2006 के अनुसार सूक्ष्म और लघु उद्यमों की परिभाषा का अनुपालन करने वाली एमएसई इकाइयों को दिए गए ऋण और अग्रिम। ❖ एमएसई को यूआरसी सं. अनुपालक होना चाहिए। ❖ गैर-कृषि आय उपार्जक गतिविधियों के अंतर्गत सूक्ष्म वित्त गतिविधियों/ सूक्ष्म उद्यमों के वित्तपोषण से संबंधित ऋण और अग्रिम ❖ उपर्युक्त ऋण व अग्रिम, मानक आस्तियाँ होनी चाहिए जो चूक के रूप में या एसएमए -0 / एसएमए -1 श्रेणी में अर्थात् 60 दिनों तक की चुकौती संबंधी विफलता के अंतर्गत नहीं हों। एनपीए और धोखाधड़ी के मामले इसमें कवर किए जाने के लिए पात्र नहीं होंगे।

[1] इस योजना को लघु वित्त बैंकों के संबंध में, लघु वित्त बैंकों के लिए पुनर्वित्त योजना (आरएसएफ़बी) कहा जाता है।

5	अंतिम उधारकर्ताओं की पात्र गतिविधियां	❖ सिडबी अधिनियम, 1989 की धारा 2 (एच) या सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 की धारा 7 के अनुसार "सूक्ष्म या लघु उद्यम" में परिभाषित "लघु उद्योग क्षेत्र में औद्योगिक प्रतिष्ठान" की गतिविधियां **नोट:** यह स्पष्ट किया जाता है कि थोक और खुदरा व्यापार में लगे एमएसई या शैक्षिक संस्थान चलाने वाले भी पात्र हैं।
6	पात्र पुनर्वित्त सहायता	❖ एमएसई इकाइयों को प्रदत्त ऋण और अग्रिमों के बकाया संविभाग के बराबर राशि, जिसमें अंतर्निहित आस्तियों / अंतिम-उधारकर्ताओं के संबंध में बैंक ने किसी भी संस्थान से वित्तीय सहायता नहीं ली है। इसमें सिडबी से प्राप्त की गई पुनर्वित्त सहायता भी शामिल है। ❖ योजना के तहत सहायता एक्सपोजर मानदंडों, पात्रता मानदंड, बैंक के वित्तीय निष्पादन आदि के भी अधीन होगी।
7	ब्याज दर / वाणिज्यिक शर्तें	❖ बाजार की स्थितियों के आधार पर ब्याज दर और अन्य वाणिज्यिक शर्तें, जिसमें अग्रिम शुल्क शामिल हैं, चर्चा से तय की जाएंगी। ❖ सामान्य करार के अनुसार मूलधन, ब्याज और अन्य राशियों की किश्तों के भुगतान में चूक के लिए, प्रयोज्य कर सहित लागू उधार दर के ऊपर 2% प्रतिवर्ष का दांडिक ब्याज लगाया जाएगा।
8	पुनर्वित्त की अवधि	सामान्यतया 3 से 5 वर्षों तक
9	प्रतिभूति	❖ बैंक द्वारा अपने उधारकर्ताओं को उपलब्ध कराई गई वित्तीय सहायता, जिसके लिए सिडबी द्वारा बैंक को ऋण स्वीकृत किया गया है, को प्रतिभूत करने के लिए उधारकर्ताओं से प्राप्त की गई चल और अचल संपत्ति, बही ऋण, प्राप्य, कार्रवाई योग्य दावे, गारंटी, असाइनमेंट, विनिमय के बिल और उससे प्राप्त होने वाली अन्य प्रतिभूतियों के साथ-साथ प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्राप्त या होने वाली सभी प्रतिभूतियों को बैंक सिडबी के पक्ष में बतौर एक ट्रस्टी अपने पास रखेगा। ❖ जब भी बैंक को कहा जाए, उक्त योजना के तहत कवर किए गए ऋण के लिए बतौर प्रतिभूति लागू सभी कानूनों के अधीन, सिडबी को ऐसी सभी जानकारी और उसके द्वारा प्राप्त सभी प्रतिभूति दस्तावेजों की प्रतियां प्रस्तुत करनी होंगी।
10	आवेदन एवं सहायता आहरण पत्र	बैंक सिडबी को आवेदन और प्रमाणपत्र निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत करेगा।

11	मंजूरी	वित्तीय सहायता के अनुमोदन पर आवेदक बैंक को आशय-पत्र (एलओआई) जारी किया जाएगा जिसमें मंजूरी की विस्तृत शर्तों का उल्लेख होगा।
12	प्रलेखन	**A) <u>एकबारगी</u>** ❖ बैंक और सिडबी के बीच एक सामान्य अनुबंध निष्पादित किया जाता है। ❖ भा.रि.बैंक / प्रतिनिधि बैंक के पास उनके चालू खाते को नामे करने के लिए बैंकों द्वारा भा.रि.बैंक /प्रतिनिधि बैंक(2) को संबोधित करते हुए एक प्राधिकार-पत्र (एलओए) निष्पादित किया जाता है। इस एलओए को भा.रि.बैंक / प्रधान बैंकर द्वारा विधिवत रूप से स्वीकार किया जाना चाहिए। **B) <u>पुनर्वित्त सहायता प्राप्त करते समय</u>** ❖ बैंक के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा मुख्तारनामा (पावर ऑफ अटॉर्नी) /लागू बोर्ड संकल्प / प्राधिकार पत्र की प्रमाणित प्रति के साथ अपेक्षित मूल्य के गैर-न्यायिक स्टाम्प पेपर पर आशय-पत्र की अभिस्वीकृति प्रस्तुत की जाए। ❖ बैंक की ओर से अपेक्षित दस्तावेजों को निष्पादित करने के लिए प्राधिकृत अधिकारियों के केवाईसी दस्तावेज, बोर्ड के तद्विषयक संकल्प / डीओपी / प्राधिकार-पत्र के साथ प्रस्तुत किए जाएंगे।
13	अंतिम-उधारकर्ताओं की सूची प्रस्तुत करने की समय-सीमा	बैंक अंतिम उधारकर्ताओं की सूची संवितरण के समय या अनुमत विस्तारित अवधि के भीतर निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत करेगा। / यदि बैंक मंजूरी की शर्तों के अनुसार अंतिम-उधारकर्ताओं की सूची प्रस्तुत करने में विफल रहता है, तो परवर्ती प्रभाव से संबंधित ब्यौरे प्राप्त होने की तारीख तक प्रयोज्य कर की राशि सहित 0.50% का दांडिक ब्याज लगाया जाएगा। मासिक अंतराल पर बैंक से शुल्क लिया जाएगा। यदि संवितरण की तारीख से 3 महीने के बाद भी डेटा प्रस्तुत नहीं किया जाता है, तो सिडबी बकाया ऋण को वापस लेने का अधिकार सुरक्षित रखेगा। यदि ऋण वापस नहीं लिया जाता है, तो डेटा जमा करने तक दंडात्मक ब्याज (पीआई) प्रभारित किया जाता रहेगा।

(2) प्रतिनिधि बैंक उन मामलों में प्रयोज्य है जहां बैंक का आरबीआई में चालू खाता नहीं होता है।

संलग्नक-I

अनुसूचित शहरी सहकारी बैंकों (यूसीबी) के पात्रता मानदंड

क्र.स./ Sr.No.	संकेतक / Indicator	मापदंड / Parameters
1	प्रस्थिति / Status	अनुसूचित / Scheduled
2	सीआरएआर / CRAR	11.5 % (न्यूनतम) / 11.5 % (minimum)
3	निवल मालियत/ Net Worth	₹100 करोड़ (न्यूनतम) / ₹ 100 crore (minimum)
4	सकल एनपीए/ Gross NPA	7% से कम हो / Less than 7 %.
5	निवल एनपीए/ Net NPA	3% से अधिक न हो / Not more than 3%.
6	लाभप्रदता/ Profitability	विगत 4 वर्षों में से कम से कम 3 वर्षों में लाभ अर्जित किया हो। * / Earning net profit in at least 3 out of the last 4 years. *

* किसी भी वर्ष में शुद्ध हानि के मामले में, यूसीबी को परिचालन लाभ अवश्य दर्ज होना चाहिए। / In case of a net loss in any of the years, the UCB should have registered an operating profit.

संलग्नक-II

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के लिए पात्रता मानदंड

क्र.सं./ Sr.No.	संकेतक / Indicator	मापदंड / Parameters
1	प्रस्थिति / Status	अनुसूचित / Scheduled
2	सीआरएआर/ CRAR	10% (न्यूनतम) / 10% (minimum)
3	निवल मालियत / Net Worth	न्यूनतम ₹100 करोड़ / ₹100 crore (minimum)
4	निवल एनपीए / Net NPA	7.50% से अधिक न हो / Not more than 7.50 %
5	लाभप्रदता / Profitability	विगत 3 वर्षों में से कम से कम 2 वर्षों में लाभ अर्जित किया हो। Earning net profit for two out of last three years

नोट: अंग्रेजी और हिंदी संस्करणों के बीच विसंगति के मामले में, अंग्रेजी संस्करण मान्य होगा